

अनुराज : बाबूमोहम्मद मसूरी बनाम तहसीलदार रावतभार
प्र.सं. : 70/2021
अन्तर्गतधारा: 136 रा.लं.रे.एक्ट

चाहा गया। वकील प्रार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने
का अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य
प्रार्थी दिनांक 30/07/2024 को पेश हो।

S.D.O.

30 $\frac{1}{24}$

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकाराने उपस्थित। वकील
प्रार्थी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया
प्रार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता
है पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थी दिनांक 13/8/2024
को पेश हो।

S.D.O.

13 $\frac{08}{2024}$

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी न्यायालय में
अनुपस्थित। प्रार्थी व वकील प्रार्थी को न्यायालय
द्वारा न्यायालय समय पर तीन बार अलग-अलग
समय पर आवाज लगावाई गई वातजूद प्रार्थी व
वकील प्रार्थी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः
न्यायालय में प्रकरण में प्रार्थी की ओर से पेशी
हेतु उपस्थित नहीं होने से प्रार्थना-पत्र इसी स्तर
पर अदम हाजिरी अदम पेशी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर
से कम की जाकर शामिल दफ्तर है।

अधिकारी
रावतभार (चित्तौड़गढ़)